



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229721
CG-DL-E-16092021-229721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3464]
No. 3464]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3776(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा त्रिपुरा राज्य के ढलाई जिले में NH-208 के कि.मी. 21.100 से कि. मी. 127.319 (ऑफिस ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अम्बस्सा जवाहरनगर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 30 जुलाई, 2021 को "दैनिक संवाद " और " त्रिपुरा ऑब्जर्वर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य के ढलाई जिले में NH-208 के कि.मी. 21.100 से कि.मी. 127.319 (कैलाशहर से तेलियामुरा वाया खोवाई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: त्रिपुरा					
जिले का नाम: ढलाई					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: महाबीर				
	गांव का नाम: महाबीर				
1	1941/2877/p	निजी(अलॉटी)	टिल्ला	0.4856333	1. रत्ना देवबर्मा पत्नी - सुमंत देवबर्मा, 2. सुतुशी देवबर्मा, 3. निरुपमा देवबर्मा, 4. क्लारा देवबर्मा, 5. अनीशा देवबर्मा, 6. पायल देवबर्मा, 7. फ्लारा देवबर्मा पुत्री- सुमंत देवबर्मा (१९४१/२८७७/प)
	तालुक का नाम: मणिकभण्डर				
	गांव का नाम: लाम्बुचारा				
1	1283/p	निजी(अलॉटी)	वस्तु (टिल्ला)	0.0040469	मालिक- हिरेंद्र देव, पुत्र- नवीन देव, दखलकार- नियति देव, पुत्री- हिरेंद्र देव (१२८३/प)
	गांव का नाम: मणिकभण्डर				
2	94/5483/p	निजी(रायटी)	वस्तु(नाल)	0.0040469	समीर देव, पुत्र- सुकुमार देव (९४/५४८३/प)
3	94/p	निजी(रायटी)	नाल	0.0040469	1. प्रतोष पॉल, 2. परितोष पॉल, 3. पीयूष

					पॉल, 4. प्रसेनजीत पॉल, पुत्र- प्रफुल्ल कुमार पॉल (९४/प)
4	98/p	निजी(रायटी)	बस्तु(नाल)	0.0242817	1. साधन पॉल, 2. तपन पॉल, पुत्र- अधिनाथ पॉल (९८/प)
	गांव का नाम: श्रीरामपुर				
5	1095	निजी(रायटी)	नाल	0.0040469	मालिक- प्रेमानंद घोष, पुत्र-रघुनाथ घोष, दखलकार- 1. प्रकृति रंजन घोष, 2. प्रताप चंद्र घोष, 3. प्रदीप चंद्र घोष, 4. बानी बाला घोष चौधरी (१०९५)
6	1121/2146/p	निजी(रायटी)	नाल	0.0364225	अनंत घोष, पुत्र- अनिल चंद्र घोष (११२१/२१४६/प)
7	645/1844/p	निजी(रायटी)	नाल	0.0040469	श्रीहरि देवबर्मा, पुत्र- बगदास वैष्णव (६४५/१८४४/प)
8	861/p	निजी(अलॉटी)	बस्तु (टिल्ला)	0.0121408	बुधु चरण देवबर्मा पुत्र- लक्ष्मी चंद्र देवबर्मा, दखलकार: बिशा चरण देवबर्मा पुत्र-स्वर्गीय बुधु चरण देवबर्मा (८६१/प)
9	886/2124/p	निजी(रायटी)	बस्तु (टिल्ला)	0.0040469	गीता देवबर्मा, पत्नी- रामचरण देवबर्मा (८८६/२१२४/प)
10	899/2099/p	निजी(रायटी)	टिल्ला	0.0161878	1. पारुल रानी ऐश (देब) पत्नी- हिमांगशु देब (८९९/२०९९/प)
			कुल	0.5989475	

[फा. सं. NHIDCL/TRIPURA/NH-208/LAQ/2017-18/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 3776(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-208 on the

stretch of land from Km. 21.100 to Km. 127.319 (Kailashahar to Teliamura via Khowai) in the district of Dhalai in the state of TRIPURA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Sambad” and “Tripura Observer” both dated 30th July, 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 21.100 to Km. 127.319 of NH-208 (Kailashahar to Teliamura via Khowai) in the district of Dhalai in the State of TRIPURA.

State: TRIPURA		District: Dhalai			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Mahabir				
	Village: Mahabir				
1	1941/2877/p	Private(Allottee)	Tilla	0.4856333	1.Ratna Debbarma W/o- Sumanta Debbarma, 2. Moutushi Debbarma, 3. Nirupama Debbarma, 4. Klara Debbarma, 5. Anisha Debbarma, 6. Payel Debbarma, 7. Flara Debbarma D/o- Sumanta Debbarma 1941/2877/p
	Taluk: Manikbhandar				
	Village: Lambuchara				
1	1283/p	Private(Allottee)	Bastu(Tilla)	0.0040469	Owner- Hirendra Deb, S/o-Nabin Deb, Occupier- Niyati Deb , D/o- Hirendra Deb 1283/p
	Village: Manikbhandar				
2	94/5483/p	Private(Rayati)	Bastu(Nal)	0.0040469	Samir Deb , S/o- Sukumar Deb 94/5483/p
3	94/p	Private(Rayati)	Nal	0.0040469	1.Prattosh Paul, 2. Paritosh Paul, 3. Pijush Paul, 4. Prasenjit Paul, S/o- Prafulla Kumar Paul 94/p
4	98/p	Private(Rayati)	Bastu(Nal)	0.0242817	1.Sadhan Paul, 2. Tapan Paul, S/o- Adhinath Paul 98/p

	Village: Srirampur				
5	1095	Private(Rayati)	Nal	0.0040469	Owner- Premananda Ghosh, S/o- Raghunath Ghosh, Occupier- 1. Prakriti Ranjan Ghosh , 2. Pratap Chandra Ghosh, 3. Pradip Chandra Ghosh , 4. Bani Bala Ghosh Choudhury 1095
6	1121/2146/p	Private(Rayati)	Nal	0.0364225	Ananta Ghosh, S/o- Anil Chandra Ghosh 1121/2146/p
7	645/1844/p	Private(Rayati)	Nal	0.0040469	Srihari Debbarma , S/o- Bagadas Baishnab 645/1844/p
8	861/p	Private(Allottee)	Bastu(Tilla)	0.0121408	Budhu Charan Debbarma S/o- Laxmi Chandra Debbarma Occupier: Bisha Charan Debbarma s/o Lt Budhu Charan Debbarma 861/p
9	886/2124/p	Private(Rayati)	Bastu(Tilla)	0.0040469	Gita Debbarma, W/o- Ramcharan Debbarma 886/2124/p
10	899/2099/p	Private(Rayati)	Tilla	0.0161878	1.Parul Rani Ash (Deb) W/o- Himangshu Deb 899/2099/p
			TOTAL	0.5989475	

[F. No. NHIDCL/TRIPURA/NH-208/LAQ/2017-18/3D]

RAJESH GUPTA, Director